भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1631
उत्तर देने की तारीख 10 दिसम्बर, 2025

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नेटवर्क अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता

1631. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सीमित ब्रॉडबैंड पहुंच, नेटवर्क में बार-बार रूकावट और खराब इंटरनेट गति, जिससे शैक्षिक और वाणिज्यिक कार्यकलाप प्रभावित होते हैं, के साथ-साथ दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि हां, तो जिले के अल्पसेवित क्षेत्रों में नेटवर्क अवसंरचना में सुधार करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए उपायो का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो भरतपुर के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले मौजूदा डिजिटल अंतर के क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अक्टूबर-25 के लिए प्रकाशित कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सेवा प्रदाता मुरादाबाद जिले और भरतपुर सहित उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा-गुणवत्ता के लिए निर्धारित सभी बेंचमार्को को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 6,741 मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित हैं जो कि सभी 1,164 गांवों को मोबाइल सेवाओं से कवर करते हैं और जिले की सभी 589 ग्राम पंचायतें डिजिटल भारत निधि की भारतनेट स्कीम के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अल्पसेवित क्षेत्रों सहित देश भर में नेटवर्क अवसंरचना में सुधार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने और इंटरनेट एक्सेस के विस्तार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. ट्राई द्वारा दिनांक 02.08.2024 को सेवा-गुणवत्ता के बेंचमार्क को संशोधित किया गया है और दिनांक 01.10.2024 से दूरसंचार सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पैरामीटर लागू किए गए हैं।
ii. नीलामी के माध्यम से मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम का आवंटन।
iii. स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और सरेंडर करने की अनुमति दी गई है।
iv. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति) की मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण।
v. दूरसंचार राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के लॉच के परिणामस्वरूप आरओडब्ल्यू अनुमतियां सुव्यवस्थित हुई हैं और इससे दूरसंचार अवसंरचना की संस्थापना के लिए त्वरित मंजूरी मिली है।
vi. टीएसपी इंटरनेट की गति और नेटवर्क कंजेशन संबंधी किसी भी मामले के समाधान के लिए नई साइटों को संस्थापित करते हैं और अपनी मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन करते हैं।

उपर्युक्त कदमों से टीएसपी को अपने नेटवर्क का विस्तार करने और सेवा-गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिली है।

*****